भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 573

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: मकई और कपास के लिए एमएसपी

573. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किसानों को उनके उत्पादों के निवेश लागत/उत्पादन लागत और कम कीमत के कारण आर्थिक बोझ और हानि से सुरक्षा के लिए मकई और कपास हेतु एक उचित मूल्य/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) सरकार, संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मौसम के लिए मक्का और कपास सहित 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, रेपसीड/सरसों तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर क्रमश: तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है यथा उत्पादन की लागत, घरेलू और विश्व बाजार में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय मूल्य, अंत:फसल मूल्य समता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्ते, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के लागत ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में उत्पादन की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। अपनी मूल्यनीति की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग समग्र तरीके से सभी लागतों पर विचार करता है। लागतों में सभी अदा की गई लागतें शामिल है यथा किराया मानव श्रम के

लिए व्यय, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरकों, खाद जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर नकद एवं सामान के रूप में किया गया व्यय, सिंचाई प्रभार, औजारों एवं फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्पसैटों आदि के संचालन के लिए डीजल/विद्युत, विविध व्यय एवं पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य। अत: विचारार्थ लागतें बहुत सघन व्यापक तथा ये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई अनुसंशित पद्धतियों पर आधारित हैं।

2018-19 के लिए केन्द्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा के स्तरों पर रखे जाने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा के साथ सभी अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है।

सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700/- रू./क्विंटल, कपास (मध्यम रेशे) का 5150/- रू./क्विंटल तथा कपास (लंबे रेशे) का 5450 रू./क्विंटल तय किया है जो अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करता है।

*****